



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व वाद संख्या 76/2005

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प -सुहावा

- 1- श्री प्रताप वयस्क पुत्र कालू जी
  - 2- श्री तेजा वयस्क पुत्र लाला जी
- दोनो जाति रावत निवासीयान ग्राम सुहावा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर राज0  
-----वादीगण

ब न म

- 1- श्री मांगीलाल वयस्क पुत्र श्री जीवण चीता
- 2- श्री रामसिंह वयस्क पुत्र श्री भंवरसिंह चौहान चीता
- 3- श्री शंकर वयस्क पुत्र श्री बादर जी जाति मेहरात
- 4- श्री चन्दा वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 5- श्री केशा वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 6- श्री लक्ष्मण वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 7- श्री रामा वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 8- श्री बिरदा वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 9- श्री बादर वयस्क पुत्र श्री गुजाब जी जाति मेहरात
- 10- श्री रामा वयस्क पुत्र श्री लूम्बा मेहरात
- 11- श्रीमति शकीना वयस्क पुत्री लूम्बा मेहरात  
निवासीयान ग्राम सुहावा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
- 12- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर  
-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 12.06.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट सुहावा में पेश हुआ। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2006 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार ब्यावर को पत्र क्रमांक 9095 दिनांक 21.12.2017 को डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार ब्यावर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक 144 दिनांक 12.06.2018 को प्रस्तुत किया गया।

वादी तथा प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया जिन्होंने आपसी सहमति होना स्वीकार करते हुए यथाप्रस्ताव बंटवारा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। उक्त आशय के हस्ताक्षर उपस्थित वादीगण व प्रतिवादी के करवाये गये।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा सुहावा पटवार क्षेत्र सुहावा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर स्थित खसरा नंबर 466/2 रकबा 02-04-02 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को मांगीलाल पुत्र जीवण व रामसिंह पुत्र भंवरसिंह चौहान कौम चीता खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 466/3 रकबा 02-04-02 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बेंगनी रंग से दर्शाया गया है, को केशा, रामा, बिरदा पिसरान लाला ब.हि.ब 3/5 निहाली पत्नि सोहन हि.1/5, सुगरा पत्नि लक्ष्मण हि.1/40, संतोष पत्नि स्व. रमेश, अरुण, दीपक, नाबालिग पिसरान रमेश, पायल नाबालिग पुत्री रमेश बसरबराही माता संतोष खुद 1/40 हि. महेन्द्र, नरेन्द्र, दिनेश, नन्दलाल, नीराराम पिसरान लक्ष्मण ब.हि.ब. 1/8 हि. विष्णु, छोटू नाबालिग पिसरान नेमीचन्द पिता खुद 1/40 हि. जाति भांभी खातेदार के हिस्से में रखे जाने एवं खसरा नंबर 466/4 रकबा 04-00-02 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को लाडीदेवी बैवा प्रतापसिंह, मदनसिंह, जयसिंह, मुकेशसिंह पिसरान

लगभग  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर  
ब्यावर



प्रतापसिंह, संतोष, कंवरी पुत्रीया प्रतापसिंह 1/2 हि. तेजा पुत्र लाला 1/2 हिस्सा जाति रावत खातेदार के हिस्से में रखे जाने एवं खसरा नंबर 466/5 रकबा 01-02-00 किस्म बा. 3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को सुधीर पुत्र रामनिवास जोशी जाति ब्राह्मण खातेदार के हिस्से में रखे जाने एवं खसरा नंबर 466/6 रकबा 02-16-16 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हल्के हरे रंग से दर्शाया गया है, को धन्नी पत्नि बादर, भंवरलाल, शंकर, गोपी, पूना उर्फ पन्नेखां, अजी, शरीफ, फिरोज पिसरान बादर, सुखी, इन्द्रा, सीता पुत्रीया बादर कौम मेरात खातेदार के हिस्से में रखे जाने एवं खसरा नंबर 466/7 रकबा 00-17-08 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है को अजीखान पुत्र बहादुर जी कौम मेरात खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एवं लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट सुहावा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड (अभिषेक वृत्त) सहायक कलक्टर  
आर0ए0एस0(प्र0)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर  
व अजलाम हर्षित वर्मा, आर. ए. एस. (प्रशिक्षु)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजस्व वाद संख्या 76/2005

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – सुहावा

- 1- श्री प्रताप वयस्क पुत्र कालू जी
  - 2- श्री तेजा वयस्क पुत्र लाला जी
- दोनो जाति रावत निवासीयान ग्राम सुहावा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर राज0  
-----वादीगण

ब न म

- 1- श्री मांगीलाल वयस्क पुत्र श्री जीवण चीता
- 2- श्री रामसिंह वयस्क पुत्र श्री भंवरसिंह चौहान चीता
- 3- श्री शंकर वयस्क पुत्र श्री बादर जी जाति मेहरात
- 4- श्री चन्दा वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 5- श्री केशा वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 6- श्री लक्ष्मण वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 7- श्री रामा वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 8- श्री बिरदा वयस्क पुत्र श्री लाला जी जाति भांभी
- 9- श्री बादर वयस्क पुत्र श्री गुजाब जी जाति मेहरात
- 10- श्री रामा वयस्क पुत्र श्री लूम्बा मेहरात
- 11- श्रीमति शकीना वयस्क पुत्री लूम्बा मेहरात  
निवासीयान ग्राम सुहावा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
- 12- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर  
-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण - श्री रामपाल कुमावत  
अधिवक्ता प्रतिवादीगण - श्री रामेन्द्र कुमार  
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.12 - परोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर  
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :- 76/2005  
निर्णय/डिक्री दिनांक :- 12.06.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट सुहावा में पेश हुआ। परोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.06.2018 को हर्षित वर्मा आर.ए.एस.(प्र0) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट सुहावा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

मजमें आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा सुहावा पटवार क्षेत्र सुहावा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर स्थित खसरा नंबर 466/2 रकबा 02-04-02 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को मांगीलाल पुत्र जीवण व रामसिंह पुत्र भंवरसिंह चौहान कौम चीता खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 466/3 रकबा 02-04-02 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में बेंगनी रंग से दर्शाया गया है, को केशा, रामा, बिरदा पिसरान लाला ब.हि.ब 3/5 निहाली पत्नि सोहन हि.1/5, सुगरा पत्नि लक्ष्मण हि.1/40, संतोष पत्नि स्व. रमेश, अरुण, दीपक, नाबालिग पिसरान रमेश, पायल नाबालिग पुत्री रमेश बसरबराही माता संतोष खुद 1/40 हि.

.....लगातार  
उपखण्ड अधि.ए.एस. सहायक कलक्टर  
ब्यावर



राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सुहावा

महेन्द्र, नरेन्द्र, दिनेश, नन्दलाल, नीराराम पिसरान लक्ष्मण ब.हि.ब. 1/8 हि. विष्णु, छोटू नाबालिग पिसरान नेमीचन्द पिता खुद 1/40 हि. जाति भांवी खातेदार के हिस्से में रखे जाने एवं खसरा नंबर 466/4 रकबा 04-00-02 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को लाडीदेवी बैवा प्रतापसिंह, मदनसिंह, जयसिंह, मुकेशसिंह पिसरान प्रतापसिंह, संतोष, कंवरी पुत्रीया प्रतापसिंह 1/2 हि. तेजा पुत्र लाला 1/2 हिस्सा जाति रावत खातेदार के हिस्से में रखे जाने एवं खसरा नंबर 466/5 रकबा 01-02-00 किस्म बा. 3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को सुधीर पुत्र रामनिवास जोशी जाति ब्राह्मण खातेदार के हिस्से में रखे जाने एवं खसरा नंबर 466/6 रकबा 02-16-16 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हल्के हरे रंग से दर्शाया गया है, को धन्नी पत्नि बादर, भंवरलाल, शंकर, गोपी, पूना उर्फ पन्नेखां, अजी, शरीफ, फिरोज पिसरान बादर, सुखी, इन्द्रा, सीता पुत्रीया बादर कौम मेरात खातेदार के हिस्से में रखे जाने एवं खसरा नंबर 466/7 रकबा 00-17-08 किस्म बा.3 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया गया है को अजीखान पुत्र बहादुर जी कौम मेरात खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एवं लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 12.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
(हिषित वर्मा)  
ब्यावर

आर0ए0एस0(प्र0)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

| वादी                             |       | प्रतिवादी                     |       |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|                                  | रुपया |                               | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प       |       | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       | अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      |       | प्लीडर की फीस                 |       |
| 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस   |       | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |       |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       | आदेशिका की तामिल              |       |
| 6. कमिश्नर की फीस                |       | कमिश्नर की फीस                |       |
| 7. आदेशिका की तामिल              |       |                               |       |
| जोड़                             |       | जोड़                          |       |



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
(हिषित वर्मा)  
ब्यावर

आर0ए0एस0(प्र0)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर